# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 217 /2022

उनवान

1.अमृता कंवर पुत्री छोटु सिंह राजपूत नि.बोरडा
2.गजेन्द्रसिंह पुत्र छोटूसिंह राजपूत नि.बोरडा
3.गोपालकंवर पत्नी छोटूसिंह राजपूत नि.बोरडा
4.रिंकू कंवर पुत्री छोटूसिंह राजपूत नि. बोरडा निवासी शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1.श्री मदनलाल पुत्र धन्ना सोनी निवासी बोरडा 2.श्री महावीर सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत निवासी बोरडा 3.श्री बनवीरसिंह पिता डुगंरसिंह राजपूत निवासी बोरडा 4.श्री रघुवीरसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी बोरडा
5.जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी बोरडा 6.सुवा पिता छीतर बावरी निवासी बोरडा
7.गणपत पिता भुरा जाति बावरी निवासी बोरडा 8.तेजु पिता मोहन जाट निवासी बोरडा
9.भंवर पिता लादु गर्ग निवासी बोरडा 10.राजु पिता लादु गर्ग निवासी बोरडा
11.गणपतसिंह पुत्र नाथुसिंह राजपूत निवासी बोरडा 12.रामस्वरूप पिता बालु सेन निवासी बोरडा
13.गोपाल पिता हीरा खाती निवासी बोरडा 14.छगन पिता लादु गुर्जर निवासी बोरडा
15.सुरेन्द्रसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी बोरडा 16.लक्ष्मणसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी बोरडा
17.मैनेजर स्टैट बैंक आफ इण्डिया शाखा शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– स्वयं प्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956**

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 11.07.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम **बोरडा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर** 1608 **रकबा** 0.25 **है**0,1619 **रकबा** 0.30 **है**0,1620 **रकबा** 0.30 **है**0,3024 /2447 **रकबा** 0.97 कुल किता 4 रकबा 1.82 हैक्टेयर के **प्रार्थीगण** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। **प्रार्थीगण** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण** 2,8 लगायत 10,13,14,17 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी।विपक्षीगण संख्या 7,9,11,12,15,16 ने दिनांक 23.06.2022 को उपस्थित हो पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। बहस अभिभाषक **प्रार्थीगण** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बोरडा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बोरडा** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता 4 रकबा 1. 82 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **11.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा